समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

पत्रांक......463 (स्प०)....../श0

प्रेषक,

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

मधेपुरा, दिनांक....8-10-13....

विषय : मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन एवं डाटाबेस तैयार करने संबंधी प्रेस विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मधेपुरा जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन एवं डाटाबेस तैयार करने संबंधी प्रेस विज्ञप्ति की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार के सभी मुख्य -मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

ह० 08/10/13

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

<u>आम सूचना</u>

मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन एवं डाटाबेस तैयार करने हेतु दिनांक 04-10-2013 से दिनांक 05-10-2013 तक मधेपुरा जिले के सभी थानों में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी द्वारा किए जाने का निदेश दिया गया था, परन्तु कुछ अनुज्ञप्तिधारी अपने आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन किसी कारणवश नहीं करा पाए है। अतः मधेपुरा जिले के शेष सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों (जिन्होंने अपने आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन दिनांक 04-10-2013 से दिनांक 05-10-2013 तक नहीं करा पाए है) को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 19-10-2013 को 10:00 बजे पूर्वा0 से 05:00 बजे अप0 तक को अपने शस्त्र का सत्यापन संबंधित थाना पर जाकर करवा लें और डाटाबेस तैयार करने हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचना भरकर संबंधित दण्डाधिकारी को हस्तगत करा दें। डाटाबेस हेतु प्रपत्र का नमूना संबंधित थाना से निर्धारित तिथि के पूर्व प्राप्त कर लेंगे या इस जिले के बेबसाईट http://www.madhepura.bih.nic.in पर से डाउनलोड किया जा सकता है।

जो अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं डाटाबेस हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करायेंगे, उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द एवं जप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

इसे सख्त ताकीद समझें।

08/10/13

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

समाहरणालय,मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

<u>वेतार संवाद</u>

पानेवाला, सभी अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष/आई0टी0असिस्टेण्ट मधेपुरा जिला।

दूहरावें, अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज।

भेजनेवाला, जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।

वेतार संवाद संख्या........../श0,दिनांक................(.) कृपया इस कार्यालय के पत्रांक-1835/गो0, दिनांक-09.09.2013 का कृपया निदेश किया जाय (.) जिसके द्वारा आपको मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन एवं डाटाबेस तैयार करने हेतु दिनांक 04-10-2013 से दिनांक 05-10-2013 तक के लिए संबंधित थाना में प्रतिनियुक्त किया गया था। वैसे अनुज्ञप्तिधारी जिन्होंने अपने आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन किसी कारणवश नहीं करा पाए है। उनके लिए अंतिम रूप से दिनांक 19-10-2013 को 10:00 बजे पूर्वा0 से 05:00 बजे अप0 की तिथि निर्धारित की जाती है (.) आपको निदेश दिया जाता है कि पत्रांक- 1835/गो0, दिनांक-09-09-2013 में दिए गए अनुदेश का अनुपालन उक्त तिथि को अक्षरसः करना सुनिश्चित करेंगे (.)

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय (.)

निदेश .... तुरंत।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी,

मधेपुरा

ज्ञापांक ......462......../श0, मधेपुरा, दिनांक......8-10-13......

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मधेपुरा /थानाध्यक्ष, मधेपुरा / आई0टी0असिस्टेण्ट, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा एवं आई0टी0मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/10/13

जिला दण्डाधिकारी,

मधेपुरा